

विविध बैंक प्रकरण संख्या 35/2024(GCMS : 2024/67) आईआईएफएल होम फाईनेन्स लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय :- आईआईएफएल हाऊस, सन इन्फोटेक पार्क, रोड नं. 16 वी, प्लॉट नं. बी-23, थाणे इण्डस्ट्रीयल एरिया, वागले एस्टेट, थाणे - 400604, मुम्बई, महाराष्ट्र एवं क्षेत्रीय कार्यालय- 4^{जी} फ्लोर, विनायक हाईट्स, गौतम मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर (राज.) 302021 अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री राजेन्द्र पराशर

बनाम

1. श्री निर्मल सिंह पुत्र जीत सिंह निवासी वार्ड नं0 13, 30 जीजी, चूनावढ, गंगानगर श्रीगंगानगर राजस्थान-335022 अन्य पता पट्टा नं. 64 बुक नं. 506, ग्राम चूनावढ गंगानगर श्रीगंगानगर राजस्थान - 335022
2. श्रीमती सिमरजीत कौर पत्नी निर्मल सिंह पट्टा नं. 64, बुक नं. 506, ग्राम चूनावढ, गंगानगर श्रीगंगानगर राजस्थान-335022 अन्य पता पट्टा नं. 64, बुक नं. 506, ग्राम चूनावढ गंगानगर, श्रीगंगानगर राजस्थान-335022



05.06.2023


पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता प्रताप सिंह शेखावत ने एक प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 05.04.2024 प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण निर्मल सिंह एवं सिमरजीत कौर को ऋण सुविधा के रूप में राशि 5,33,740/- रुपये के ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 29.11.2022 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी निर्मल द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 64, बुक नं. 506 कुल एरिया 1080 वर्गफीट ग्राम चूनावढ गंगानगर ,श्रीगंगानगर राजस्थान-335022 का भौतिक कब्जा पुलिस की सहायता से प्राप्त करने के लिए एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था और अब चूंकि प्रार्थी बैंक ऋणी के विरुद्ध इस प्रकरण में इस न्यायालय में आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता है अर्थात नॉट प्रैस करता है और अगर इस प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाई समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

मैने, उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 05.04.2024 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी आई.आई.एफ.एल. द्वारा धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण निर्मल सिंह एवं सिमरजीत कौर के विरुद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी निर्मल सिंह की सम्पत्ति अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 64, बुक नं. 506कुल एरिया 1080 वर्गफीट ग्राम चूनावढ़ गंगानगर, श्रीगंगानगर राजस्थान-335022 का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और अब चूंकि प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में इस न्यायालय में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने पेश किया है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी आई.आई.एफ.एल. द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(लोक बंधु)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर
श्री गंगानगर